H-III - 130

INDEX

Sr.No.	Name of the Experiment	Page No.	Date of Experiment	Date of Submission	Remarks
1-	मूट कोर्ट का अर्थ एवं महत्व	1-16			
2	सिविल वाद राकेश कुमार बनाम सिंधि	16-47			
3-	आपराधिक वाद राज्य बनाम देवी सिंह व अन्य	47-87			
4.	मूट कोर्ट	90- 93			

Scanned with OKEN Scanner

मूट कोर्ट

मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) का अर्थ एवं महत्व

⇒ मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) एक कृत्रिम न्यायालय होता है। जिसमें विधि छात्रों को किसी विशिष्ट वाद या विधि विषय पर दोनों पक्षकारों की तरफ से उनके अधिवक्ताओं के रूप में भूमिका अदा करने का अवसर प्राप्त होता है मूट कोर्ट के संचालन में विधि छात्रों को सिविल मामलों में वाद-पत्र, लिखित कथन तथा शपथ पत्र तैयार करने तथा साक्षियों के परीक्षण और प्रति परीक्षण करने का अवसर प्राप्त होता है।

⇒ आपराधिक मामलों में वे परिवाद तैयार करने विचारण के पूर्व तैयारी करने तथा साक्षियों के परीक्षण के अतिरिक्त बहस करने की कला का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

मूट कोर्ट के आयोजन से विधि छात्र को निर्भीकतापूर्वक बोलने का अवसर प्राप्त होता है जिससे वे सफल अधिवक्ता के रूप में अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्राप्त करते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) को आयोजित करने का उद्देश्य विधि में सुधार की दृष्टि से सामाजिक समस्याओं पर बहस करने के लिए विधि छात्रों को तैयार किया जाता है। जिससे उनके प्रतिनिधि सरकार सामाजिक कल्याण के लिये विधिक-व्यवस्थाओं में आवश्यक संशोधन करके विधि निर्माण का कार्य कर सकें।

चैम्बर शब्द-कोष के अनुसार मूट शब्द का अर्थ:-

तर्क द्वारा शास्त्रार्थ करना
या
विधि व्यवसाय के लिए बहस करना है।

⇒ प्राचीन आंग्ल इतिहास में मूट शब्द का अर्थ:- ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधियों की सभा से लगाया जाता था जिससे उनके प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाओं के विषय में आपस में विचार विमर्श करते थे।

विधि महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विधि संकाय में मूट कोर्ट आयोजित करने के विभिन्न उद्देश्य हैं जिनमें निम्न महत्वपूर्ण हैं-

⇒ मूट कोर्ट में भागीदारी करके विधि छात्रों को आत्म नियन्त्रण आबाध गति तथा स्पष्ट रूप से विचारों की अभिव्यक्ति करने न्यायालीय प्रक्रिया, वादों का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुती करने का उनकी पैरवी करने की कला का ज्ञान प्राप्त होता है।

⇒ मूट कोर्ट के माध्यम से विधि छात्रों को न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्ट रूप से निर्भयता पूर्वक श्रोताओं के समक्ष विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है

⇒ मूट कोर्ट से विधि छात्रों को गवाहों के परीक्षण तथा प्रति परीक्षण के सम्बन्ध में ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है

⇒ मूट कोर्ट आयोजित करने का उद्देश्य विधि छात्रों को न्यायालीय प्रक्रिया का प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना होता है।

⇒ मूट कोर्ट के आयोजन से विधि छात्रों को न्यायालीय शालीनता तथा कौशल का ज्ञान प्राप्त होता है।

अधिवक्ता की सफलता के लिए आवश्यक साधन :-

पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मान. न्यायमूर्ति राज किशोर प्रसाद ने अधिवक्ता की सफलता के लिए अपनी साधनों का वर्णन किया है उन्होंने कहा है। कि ईमानदारी सच्चाई तथा उच्च चरित्र ऐसे गुण हैं जो अधिवक्ता की सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं

इंग्लैण्ड के पूर्व विधि ~~वेत्ता~~ वेत्ता लॉर्ड मॉकन महोदय ने अधिवक्ता की सफलता के लिए पाण्डित्य के गुण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है।

धैर्य तथा निरंतर अद्यव्यवसाय :—

न्यायमूर्ति राज किशोर प्रसाद ने अधिवक्ता को धैर्य तथा निरन्तर अद्यव्यवसाय के गुण विकसित करने की सलाह दी है। कि विधि व्यवसाय में सफलता उद्योग के गुण के अतिरिक्त किसी भी अन्य गुण से नहीं प्राप्त की जा सकती है। यहां तक कि मध्यम बुद्धि के व्यक्ति भी अन्य लोगों की तुलना में उद्योग के गुण द्वारा अधिक सफलता प्राप्त कर लेते है।

कहा गया है कि - निरन्तर अद्यव्यवसाय, सफलता का दाहिना हाथ है तथा धैर्य उसका बाया हाथ।

⇒ ## न्यायालय में आचरण :—

न्यायमूर्ति राजकिशोर प्रसाद ने अवलोकन किया है कि अधिवक्ता की सफलता के लिए बौद्धिक साधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नैतिक साधन होता है।

किसी भी अधिवक्ता से सदैव यह आशा की जाती है कि वह न्यायालय में शांति, शालीनता तथा विनोदपूर्ण वातावरण बनाए रखेगा। उसे न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण होना जरूरी है। इसका यह मतलब न्यायिक कार्य के पदधारी के कारण नहीं है अपितु स्थायी रूप से न्यायालय की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए है।

Scanned with OKEN Scanner

यह आदरपूर्ण रहते हुये स्वतन्त्रता तथा निर्भयतापूर्वक श्रद्धा का भाव बनाए रख सकते है। जब न्यायाधीश बोल रहे हो तो उन्हे कभी भी बीच मे नही टोकना चाहिए बल्कि न्यायाधीश को उनके वाक्य को पूरा करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

⇒ विधि व्यवसाय के सात दीपक :-

न्यायाधीश एबोट पैरी ने विधि व्यवसाय मे सफलता के लिए सात दीपको का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार ईमानदारी के विषय मे उन्होने कहा है कि सभी पीढ़ियो के अधिवक्ता ईमानदारी के पुजारी रहे है। साहस का उल्लेख करके वे कहते है कि वकालत संग्राम का एक रूप है, जहाँ साहस द्वारा आधी लड़ाई जीती जाती है।

आठवां दीपक चातुर्य के विषय में उनका कहना है कि विशाल क्षमता वाले व्यक्ति भी चातुर्य के गुण की कमी के कारण जीवन मे सफलता प्राप्त करने मे समर्थ नही हुए है।

⇒ अधिवक्ता को चाहिए कि वह इस गुण को विकसित करे क्योंकि न्यायालय मे संघर्ष करके अथवा गरे मामलो मे नाराजगी व्यक्त करके कुछ भी प्राप्त नही किया जा सकता है।

⇒ वकालात पेशे का अन्य महत्वपूर्ण पहलू, न्यायालय मे नजीरो का उद्धरण करना है। नजीरों का उद्धरण संक्षिप्त

होना चाहिए। और ऐसी नजीरें संबंधित वाद से पूर्णतया प्रासंगिक होनी चाहिए। ऐसी वादों के उद्धरण में विधि के सिद्धान्तों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिस पर वे आधारित थे। विधि - द्वारा मूट कोर्ट के माध्यम से वादों से सम्बन्धित नजीरों का उद्धरण है। वकालत पेशे का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अधिवक्ता का मुवक्किलों के साथ से व्यवहार होता है।

⇒ मूट कोर्ट के विभिन्न प्रकार :-

यह निर्विवाद है कि मूट कोर्ट स्थापित करने का उद्देश्य विधि छात्रों को वकालत पेशे का प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। विधि छात्र मूट कोर्ट में वादों के अभिकथन तथा लिखित कथनों का लेखन करने विवाद्यक बिंदुओं को तैयार करने तथा गवाहों की परीक्षा तथा प्रतिपरीक्षा करने का अवसर प्राप्त करते हैं।

मूट कोर्ट को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया है

↓

कृत्रिम वादों का मूट कोर्ट

↓

निर्णीत वादों का मूट कोर्ट

↓

किसी विशिष्ट विषय पर

1. कृत्रिम वादों का मूट कोर्ट :-

ऐसे मूट कोर्ट का संचालन कोई काल्पनिक वाद तैयार करके किया जाता है। विधि छात्रों को दोनों पक्षों का कार्य सौंप दिया जाता है। जबकि दूसरे समूह को विरोधी पक्ष के प्रतिनिधित्व के सभी कार्य दिए जाते हैं। विधि छात्र जो मूट कोर्ट में भागीदारी कर रहे हैं, अपनी सुविधानुसार अपने कार्यों का बटवारा कर लेते हैं। काल्पनिक वाद, दीवानी, आपराधिक हो सकता

वह याचिका या रिट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में हो सकता है या किसी दावे में न्यायालय में प्रार्थना पेश करने के लिए हो सकते हैं विधि छात्र को वकालत पेशे के सभी पहलुओं से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन सीखना होता

② निर्णीत वादों का मूट कोर्ट :-

मूट कोर्ट न्यायालय द्वारा निर्णीत वादों के लिए भी आयोजित किया जाता है। इसके लिए न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद चुन लिया जाता है। और विधि छात्रों का एक समूह वादी का तथा दूसरा समूह प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

विधि छात्रों का प्रत्येक समूह अपने पक्ष के लिए अभिकथन या लिखित कथनों तथा दूसरा पक्ष के लिए का उत्तर मूट कोर्ट में प्रस्तुत करता है। प्रत्येक समूह को

अपने पक्ष के ~~लिए~~ प्रतिनिधित्व के लिए उचित समय दिया जाता है। विधि छात्र अपने पक्ष के प्रतिनिधित्व के लिए उचित समय दिया जाता है। विधि छात्र अपने पक्ष के प्रतिनिधित्व के लिए विधियों की जानकारी विधि पुस्तकालय से प्राप्त करते हैं। जहां उन्हें विधि पुस्तके तथा विधिक पत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। विधि छात्र संबंधित वादों के निर्णय का अध्ययन करके मूट कोर्ट में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं। विधि छात्र वाद में बहस करने की कला मूट कोर्ट से सीखते हैं।

(3) किसी विशिष्ट विषय पर मूट कोर्ट :-

मूट कोर्ट किसी विशिष्ट विषय पर भी आयोजित किया जा सकता है मूट कोर्ट में विधि छात्र अपनी पक्ष के लिए अभिकथन अथवा लिखित-कथन तथा अपने पक्ष में बहस प्रस्तुत करना सीखते हैं। मूट कोर्ट में प्राध्यापकों द्वारा विधि-छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है। जिसका उत्तर उन्हें देना होता है। मूट कोर्ट आयोजित करने के लिए

इसके लिए उन्हें विधि पुस्तकालयों में विधि-पुस्तकों तथा विधि पत्रिकाओं का अध्ययन करना आवश्यक होता है।

मूट कोर्ट में आयोजित किए जाने से विधि छात्रों की वकालत को विकसित करने का अवसर मिलता है। जिससे भविष्य में उनका विकास हो सके।

मूट कोर्ट की सफलता के कारक :—

⇒ वाद की तैयारी तथा उसका प्रस्तुतीकरण

बहस की तैयारी

गवाहों के परीक्षण की कला

नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त को अंगीकार करना

(मेनका गांधी
वनाम
भारत संघ)

के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि जहाँ न्याय निर्णायक अधिकारी के द्वारा लिया गया निर्णय जनता के अधिकारों को प्रभावित करता है वह निर्णय के कारण का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा उसे संविधान के अनु० 14 तथा 21 का उल्लंघन माना जाएगा।

अधिवक्ता के कर्तव्य :—

मूट कोर्ट में भागीदारी करने वाले विधि-छात्रों को

अधिवक्ता के विभिन्न कर्तव्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, वे मूट कोर्ट में भागीदारी करते समय वकालत पेशे की कला को जानने का अवसर प्राप्त करते हैं।

साथ ही इस दौरान उन्हें अधिवक्ता के विभिन्न कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है। निम्न पंक्तियों में अधिवक्ता के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जिसकी जानकारी विधि छात्रों को मूट कोर्ट में भागीदारी करने के लिए आवश्यक है।

इन कर्तव्यों का ज्ञान उनके आगे वकालत पेशे में कारगर साबित होगा। अतः मूट कोर्ट में भागीदारी करते समय इन्हें चाहिए कि वे इन कर्तव्यों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके इनका अनुसरण करना सीखें

मूट कोर्ट (आभासी न्यायालय) बनाम सामान्य न्यायालय !

* मूट कोर्ट एक कृत्रिम न्यायालय होता है जो विधि छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा के लिए आयोजित किया जाता है।	सामान्य न्यायालय राज्य द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो न्यायिक कार्यों का संचालन करते हैं।
* मूट कोर्ट पक्षकारों के माध्यम से विवाद को निर्णीत नहीं कर सकते।	सामान्य न्यायालयों में विधि के अनुसार पक्षकारों के अधिकारों को निर्णीत करने के लिए न्यायिक अधिकार से सुशोभित होते हैं तथा उनके निर्णयों को अंतिमता तथा प्राधिकार प्राप्त होता है।
* मूट कोर्ट को न तो कोई राज्य न्यायिक प्राप्त होता है। और न उसका विवादों निर्वचन का अधिकार ही होता है।	सामान्य न्यायालय में सुनवाई के दौरान पक्षकारों को अपने दावे का समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होता है।
* वास्तव में मूट कोर्ट कृत्रिम न्यायालय होता है, जो विधि के छात्रों की प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए विधि महाविद्यालयों में आयोजित किया जाता है।	सामान्य न्यायालयों में वादों का निर्णय प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों, कानूनों और वादों से संबंधित विधि पर आधारित होते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

* मूट कोर्ट के माध्यम से विधि छात्र विधि व्यवसाय ग्रहण करने के पूर्व वकालत पेशा की कला का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

* मूट कोर्ट आयोजित करने का उद्देश्य विधि - छात्रों को वकालत की प्रक्रिया से अवगत कराना है।

Civil Case

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय श्री मान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मथुरा

मूलवाद संख्या :- 21/2006

नाम राकेश कुमार

पुत्र - चरणदास, उम्र करीब - 30 वर्ष

निवासी - मल्लपुरा, निकट जन्मभूमि जिला मथुरा।

(प्रार्थी / वादी)

बनाम

नाम निधि

पुत्री - श्री राधावल्लभ, पत्नी राकेश, उम्र करीब 25वर्ष

निवासी - सदर बाजार मथुरा

(विपक्षी / प्रतिवादी)

Scanned with OKEN Scanner

⇒ उपरोक्त प्रार्थी /वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादिनी का विवाह 26-06-2001 को हिन्दु रीति-रिवाज से सप्तपदी के साथ सदर बाजार जिला मथुरा मे सम्पन्न हुआ।

2- यह कि वादी एवं प्रतिवादिनी के विवाह का सम्पूर्ण खर्चा वादी के पिता की ओर से वहन किया गया था। क्योंकि प्रतिवादिनी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही थी।

3. यह कि वादी के दो और भाई है जिसमे एक बड़ा भाई है। जिसका नाम हिमेश है। जो शादी से पहले ही साधू है। तथा छोटा भाई दिनेश बचपन से ही साधू है। इसलिए परिवार मे केवल वादी ही शादी शुदा है अतः वादी के परिवार के सदस्य प्रतिवादिनी को पूरे लाड प्यार से रखा है।

4. यह कि प्रतिवादिनी शादी के कुछ दिनो बाद तक परिवार मे शांतिपूर्वक रही कुछ दिनो के बाद प्रतिवादिनी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और स्थिति यह हो चुकी थी कि प्रतिवादिनी वादी से बिना बताए ही मायके चली जाती थी और वादी से न कोई अनुमति लेने की आवश्यकता समझती और न ही किसी प्रकार की सूचना दी।

5. यह कि प्रतिवादिनी के ऐसे व्यवहार को ठीक करने के

लिए वादी के परिवार वालों ने समझाया तो उसने यह कह दिया कि ये मेरी मर्जी है। और मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ।

6. यह कि वादी की माता भी अक्सर बीमार रहती है। वह चल फिर भी नहीं सकती क्योंकि वह लकवे का शिकार हो चुकी है।

7. यह कि वादी की एक बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। जो तपेदिक रोग से पीड़ित है और वह चल फिर भी नहीं सकती और न ही वह स्वयं की और माँ की देखभाल कर सकती है।

8. यह कि ऐसी स्थिति में प्रतिवादिनी घर का कोई काम नहीं कर सकती है वादी ने प्रतिवादिनी को जब भी समझाने की कोशिश की तो वह वादी को गालियां देना शुरू कर देती है।

9. यह कि प्रतिवादिनी वादी के घर से सामान आदि लेकर अपने मायके वालों को देने लगी और जब वादी ने ऐसा करने से मना किया तो वह लड़ने लगी। यहां तक की प्रतिवादिनी आत्महत्या करने की धमकी देने लगी और वादी को व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज हत्या में मुकदमा पंजीकृत कराने की धमकी देती है।

10- यह कि वादी के पिता चारपदार एक सम्मानित व्यक्ति है, जिन्होंने प्रतिवादिनी को समझाने की बहुत कोशिश की परंतु उसने वादी के पिता से अभद्रता की और मारने की धमकी दी।

11. यह कि प्रतिवादिनी ने 20-02-2008 को चूहे मारने की दवा खा ली, यह बात वादी को मालूम हो गई। वह तत्काल परिस्थितियों के गंभीर होने से पहले अस्पताल ले गया और इसका इलाज करवाया
डॉक्टर के प्रयास एवं भगवान की कृपा से उसकी जान बच गई।

12. यह कि प्रतिवादिनी के पिता को उक्त घटना के बारे में सूचित किया गया तो वे सीधे अस्पताल आ गए तथा प्रतिवादिनी को को वहां से अपने साथ अपने घर ले गए और झूठे दहेज के मुकदमे में फसाने की धमकी दी।

13. यह की वादी का स्वास्थ्य उस घटना के उपरान्त दिन प्रतिदिन गिरने लगा तथा ऐसी स्थिति में प्रतिवादिनी ने अपने पिता को वादी के घर भेजकर अपनी अटैची तथा अन्य सामान मंगवा लिया है। प्रतिवादिनी 2 महीने से अपने मायके में ही रह रही है।

14. यह कि वादी ने इस बीच में प्रतिवादिनी को बहुत समझाया और अपने घर लेकर आया।

15. यह कि प्रतिवादिनी को 15-10-2003 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई वादी के परिवार वालों ने बड़ी धूमधाम से खुशी मनाई, लेकिन प्रतिवादिनी का व्यवहार नहीं बदला

16- यह कि प्रतिवादिनी होली पर अपने मायके गई वहां पर उसके बच्चे को बुखार हो गया। उसका इलाज सही ढंग से नहीं कराया जब वादी को पता चला तो वादी अपने बच्चे को लेकर विपिन नर्सिंग होम कृष्णा नगर गया व बच्चे का इलाज कराया, जहां बच्चा एकदम स्वस्थ है।

17- यह कि प्रतिवादिनी दि० 20-05-2005 को वादी से बिना पूछे लत्ता सारा सामान साड़ी एवं सामान एवं नगद रुपया लेकर व बच्चे को अपने साथ लेकर पिता के साथ मायके चली गयी और वादी को दहेज के झूठे मुकदमे में फंसा दिया।

उस समय से प्रतिवादिनी कभी वादी के पास

नहीं आयी और उसे बार-बार बुलाने पर भी बिना किसी कारण के वादी के साथ आने से मना कर दिया और इस प्रकार उसने वादी का त्याग कर दिया।

18. यह कि वाद का कारण प्रथम बार जब प्रतिवादिनी ने दिनांक 20-5-2005 को वादी से बिना युद्ध सामान सहित मायके चले जाने पर तथा अन्तिम रूप से दिनांक 25.9.2006 को जब वादी आखिरी बार प्रतिवादिनी को बुलाने गया तो प्रतिवादिनी ने वादी के साथ आने से मना कर दिया। इस न्यायालय की न्यायसीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुआ है।

19 यह कि यद्यपि विवाह विच्छेद का आर्थिक मूल्यांकन संभव नहीं है किंतु न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार निश्चित करने के उद्देश्य से इस वाद का मूल्यांकन 100000/- पर किया जाता है। और तदनुसार विवाह विच्छेद के वाद के लिए निर्धारित न्याय शुल्क 35/ रु० पैसे अदा किया जाता है।

प्रार्थना

यह कि वादी यह प्रार्थना करता है कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी तथा प्रतिवादिनी का पति-पत्नि के रूप में रहना असंभव हो गया है। अतः वादी प्रार्थना करता है कि प्रतिवादिनी

को सामान्य वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने का आदेश दिया जाये और यदि संभव न हो तो बजरिए आज्ञप्ति विवाह विच्छेद वादी तथा प्रतिवादी के मध्य दिनांक 26.6.2001 को सम्पन्न विवाह को विच्छेद कर दिया जाये।

यह कि इस वाद का खर्चा प्रतिवादिनी से दिलवाया जाये।

यह कि अन्य कोई सुविधा जो बहक वादी व खिलाफ प्रतिवादिनी न्यायालय उचित समझे प्रदान की जाये।

दिनांक 17.9.2006

वादी / प्रार्थी

द्वारा
अधिवक्ता

Scanned with OKEN Scanner

सत्यापन

इस वाद की प्रस्तर संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ------- 17 मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है 18 व 19 कानूनी सलाह व ज्ञान से सत्य एवं सही है

इसकी तसदीक आज दिनांक 27.9.2006 को बमुकाम मथुरा की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय श्री मान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मथुरा

मूलवाद सं० - 239 सन् 2006

रमेश कुमार

बनाम

निधि

उपरोक्त वाद में प्रतिवादिनी द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन इस प्रकार है।

1. यह कि वाद पत्र का पैरा नं० 1 स्वीकार है।

2. यह कि वादपत्र का पैरा नं० 2 पूर्ण अस्वीकार है।

यह कहना पूर्णतः गलत है कि वादी एवं प्रतिवादिनी के विवाह का सम्पूर्ण खर्चा वादी ने ही वहन किया है या कि प्रतिवादिनी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। इस तथ्य से सम्बन्धित विवरण प्रतिवादिनी अपने विरोध कथन में प्रस्तुत कर रही है।

3. यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 3 में केवल इतना तथ्य स्वीकार है कि वादी के 2 भाई है

और जिसमें से बड़ा भाई जिनका कि नाम दिनेश है और जो विवाह से पहले ही साधु है तथा छोटा भाई दिनेश बचपन से ही साधु है और यह तथ्य परिवार में केवल वादी ही शादी शुदा व्यक्ति है। स्वीकार है

किन्तु शेष कथन अस्वीकार है, यह कथन गलत है। कि वादी के परिवार के सदस्यों ने प्रतिवादिनी को पूरे लाड-प्यार से रखा है।

4. यह कि वाद-पत्र के पैरा नं. 4 के कथन पूर्णतया असत्य भ्रामक व मनगढ़न्त है तथा अस्वीकार है। यह कहना पूर्णतया गलत है कि प्रतिवादिनी का व्यवहार शादी के कुछ दिन बाद से ही परिवर्तित होने लगा हो। या कि वह जल्दी जल्दी अपने मायके जाने लगी या कि वह वादी के बिना पूछे और अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मायके चली जाती हो या कि वह वादी से कोई अनुमति न लेने की आवश्यकता समझती हो या कि

किसी प्रकार की सूचना न देती हो।

5. यह कि वाद पत्र के पैरा नं. 5 के कथन पूर्णतया असत्य, भ्रामक और निराधार है। तथा

अस्वीकार है। यह कहना असत्य है कि प्रतिवादिनी ऐसे कथित व्यवहार को ठीक करने के लिए वादी के परिवार वालों ने प्रतिवादिनी को कभी समझाया हो या कि प्रतिवादिनी ने यह कहा हो कि मैं मेरी मर्जी है और मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ और मैं जब चाहूँ कहीं भी जाऊँ

पूर्णतः असत्य है और पूरी तरह से मनगढ़न्त है।

यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादिनी ने कभी आना आक्रमक रुख किया व माहौल को कलह पूर्ण किया हो या कभी अभद्रता की हो

यह कहना पूर्णतः असत्य है और बेबुनियाद है कि प्रतिवादिनी ने कभी वादी की माँ को गाली दी।

6. यह कि वाद पत्र का पैरा नं० 6 पूर्णतया असत्य है। और अस्वीकार है।

7. यह कि वाद पत्र का पैरा नं० 7 अस्वीकार है।

8. यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 8 में जो कहा है वह पूर्णतः असत्य है। एवं अस्वीकार है।

यह कहना पूर्णतया गलत है कि प्रतिवादिनी घर का

कोई काम नहीं करती है या कि वादी के समझाने पर गंदी-2 गालियां देती हो।

9. यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 9 के कथन मनगढ़ असत्य एवं प्रतिवादिनी के ऊपर निराधार आरोप लगाने के उद्देश्य से किए गए हैं जो पूर्णतया अस्वीकार हैं।

यह कहना गलत है कि प्रतिवादिनी कभी वादी के घर का सामान इत्यादि ले जाकर अपने मायके वालों को देने लगी हो या वादी के ऐसा करने से मना करने पर प्रतिवादिनी लड़ने झगड़ने लगी हो या आत्महत्या की धमकी या दहेज हत्या की मामले में फसाने की धमकी देने लगी हो।

10= यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 10 के कथन सम्पूर्ण रूप से असत्य एवं निराधार है तथा अस्वीकार है। यह कहना पूर्णतया गलत है कि प्रतिवादिनी ने 20-02-2002 को चूहे मारने की दवा खाई थी या कि वादी द्वारा उसका इलाज कराया गया था।

11- यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 10 असत्य एवं अस्वीकार है यह कहना गलत है कि प्रतिवादिनी के पिता का किसी उक्त घटना की बात गलत है और घटना के बारे मे प्रतिवादिनी के घर सूचना दी हो या वे घर पहुंचे हो या प्रतिवादिनी को वही से अपने घर ले गए हो या कि प्रतिवादिनी के पिता ने वादी को कभी किसी प्रकार के झूठे दहेज तथा हत्या के मामले मे फसाने की धमकी दी हो।

12- यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 12 मे जो कहा है वह पूर्ण रूप से गलत है। और अस्वीकार है।

13. यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 14 असत्य व अस्वीकार है।

14 यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 15 का यह तथ्य स्वीकार है कि प्रतिवादिनी को 15.11.2003 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है किन्तु यह तथ्य अस्वीकार है कि वादी के परिवार वालो ने बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया हो अथवा खुशियां मनाई हो अथवा प्रतिवादिनी के व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही आया।

15- यह कि वाद पत्र के पैरा नं. 16 का यह कथन अस्वीकार है कि होली पर प्रतिवादिनी अपने मायके गयी है और वहां पर उसके बच्चे को बुखार हुआ किन्तु यह कथन पूर्णतया अस्वीकार है कि उसका इलाज सही ढंग से नहीं कराया गया।

16. यह कि वाद पत्र के पैरा नं. 17 के कथन पूर्णतया असत्य व निराधार है तथा विवाह विच्छेद के मुकदमे को झूठे आधार पर प्रदान करने के उद्देश्य से किए गये है जो अस्वीकार है।

यह कहना पूर्णतया गलत है कि प्रतिवादिनी 20-5-2005 को वादी से बिना पूछे उसका सारा सामान - साडी एवं नगद रुपया लेकर बच्चे को अपने साथ लेकर अपने पिता के साथ मायके चली गयी या कि वादी को दहेज के झूठे मुकदमे मे फंसा दिया हो।

यह कहना असत्य है कि उस समय मे प्रतिवादिनी कभी वादी न आयी हो या कि उसने वादी के बार बार बुलाने पर भी वादी के साथ आने से इंकार कर दिया हो। यह कहना भी गलत है कि उसने वादी का त्याग कर दिया हो।

17. यह कि वाद पत्र के पैरा नं० 18 व 19 कानूनी हैं जिनका स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं आ उठता है।

विशेष कथन

18- यह कि प्रस्तुत मुकदमा वादी ने प्रतिवादिनी से छुटकारा पाने की गरज से किया गया है क्योंकि 6-7 वर्ष विवाह को हो चुका है तथा वादी अपनी पत्नी से ऊब चुका है तथा नयी पत्नी और

दहेज के उद्देश्य से वादी ने उपरोक्त मुकदमा प्रस्तुत किया है।

19- यह कि प्रतिवादिनी के पिता ने प्रतिवादिनी का विवाह अपनी सामर्थ्य से अधिक धन खर्च करके वादी के साथ सम्पन्न किया, इसके लिए प्रतिवादिनी के पिता ने कर्जा भी लिया तथा शेष धनराशि अपने घर से लगाकर लिया ~~तथा~~ लगभग 8 लाख रुपये खर्च किये।

20- यह कि वादी एवं वादी के परिवारीजन दहेज के लोभी व्यक्ति है और वे आये दिन दहेज की मांग करते रहते है। वादी प्रतिवादिनी से अपने पिता के यहां से दो लाख रुपये नगद, कम्प्यूटर

एवं पांच सौ वर्ग गज का एक प्लाट के लिए सदैव प्रताड़ित करता रहता है।

21. यह कि वादी के पिता चरणदास ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर प्रतिवादिनी के साथ क्रूर व्यवहार किया।

22. यह कि दिनांक 20-2-2002 को प्रतिवादिनी ने कभी भी चूहे मारने की दवा नहीं खाई बल्कि अस्वस्थ परिस्थितियों में रहने के कारण ऐसा हो गया था जिसका इलाज प्रतिवादिनी के पिता ने ही कराया था।

23. यह की वादी तथा वादी के परिजनों द्वारा प्रतिवादिनी के साथ लगातार क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया तथा मारपीट कर दिनांक 20-05-2005 को रात करीब 11 बजे घर से निकाल दिया और काफी मिन्नत करने के बाद भी घर में घुसने नहीं दिया प्रतिवादी अगले दिन भाई के साथ मायके चली गयी।

उसके बाद भी वादी अभी तक प्रतिवादिनी को एक बार भी अपने साथ ले जाने नहीं आया है।

24. यह कि वादी ने उपरोक्त वाद पूर्णतया असत्य, निराधार, भ्रामक मनगढ़न्त व प्रतिवादिनी से छुटकारा पाने के उद्देश्य से मा०न्याय० मे संस्थित किया है जो कि खारिज होने योग्य है।

25. यह कि प्रतिवादिनी वादी के साथ सदैव शांतिपूर्वक वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की इच्छुक है और उसी के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत करना चाहती है अतः उपरोक्त वाद खारिज होने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

निरीक्षण हेतु

विचार निर्णय

→ उपरोक्त वाद पत्र तथा लिखित कथन के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यकों की रचना की जाती है।

1. क्या वादी तथा प्रतिवादी की शादी दिनांक 26.6.200_ को हिन्दू रीति - रिवाज के साथ सम्पन्न हुई।

2. क्या वादी ने प्रतिवादिनी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है?

3. क्या वादी द्वारा उक्त विवाह में दहेज लिया गया था या प्रतिवादिनी का वादी से दूर रहना क्रूरता का परिणाम है।

4. क्या प्रतिवादी द्वारा वादी का अभित्याग किया गया था

5. क्या वादी द्वारा प्रतिवादिनी से या उसके माता पिता से या उसके रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से दहेज की अतिरिक्त मांग की गयी?

6. क्या प्रतिवादिनी द्वारा 20-2-2002 को आत्महत्या का प्रयास किया गया?

7. क्या वादी तथा प्रतिवादिनी के मध्य समझौता होने की संभावना है, यदि है तो निश्चित शर्तें क्या है।

8. क्या वादी तथा प्रतिवादिनी के मध्य विवाद विच्छेद आवश्यक है ? यदि वादी तथा प्रतिवादी का वैवाहिक जीवन संभव नही है। तो क्या प्रतिवादिनी भरण पोषण की हकदार है, यदि है तो भरण पोषण की राशि तथा आदेश प्रभावी होने की तिथि।

वादी तथा प्रतिवादिनी की ओर से अन्य बिन्दुओ पर बल नही दिया गया तदनुसार इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त विवाद बिन्दु विरचित किए गए

उपरोक्त वाद का फैसला माननीय लोक अदालत मथुरा के द्वारा किया गया।

लोक अदालत के समक्ष उक्त वादी तथा प्रतिवादिनी के अधिवक्ताओ ने अपने पक्ष को यह समझाया कि
मुकदमा बाजी मे धन, समय, खुशी तथा सम्बन्ध इत्यादि का ह्रास होता है।

अतः वैमनस्यता छोडकर आपस समझौता कर लो।

दोनों पक्षों में उक्त वाद के लोक अदालत में निर्णीत कराने हेतु सहमति हो गयी।

दोनों पक्षों ने न्यायालय के समक्ष अपनी सहमति व्यक्त की कि उक्त वाद को लोक अदालत द्वारा निर्णीत करा दिया जाय।

व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लोक अदालत के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

PW. 1

मैं राकेश कुमार पुत्री श्री चरनदास उम्र करीब 30 वर्ष पेशा - व्यापार निवासी - मल्लपुरा, जन्मभूमि जिला मथुरा।

मैं धर्म से शपथपूर्वक ब्यान करता हूँ कि जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा।

मेरी शादी श्री मती निधि के साथ दिनांक 26-6-2011 को हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार सातपदी के फेरे लेकर सदर बाजार के बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुई थी।

शादी का सारा खर्चा मेरे पिता ने वहन किया था क्योंकि निधि का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। मेरे दो भाई साधू है। परिवार मे केवल मै ही हूँ इसलिए मेरे परिवार मे निधि को पूर्ण लाड प्यार से पाल रखा है।

शादी के कुछ दिन बाद से ही निधि के व्यवहार मे परिवर्तन आने लगा तथा वह अपनी मर्जी से बिना पूछे मायके जाने लगी। तथा मेरे परिवार वालो ने निधि को कई बार समझाया तथा उससे कई बार व्यवहार मे परिवर्तन लाने को कहा

आने तो उसने घर का माहौल कलहपूर्ण कर दिया। घर के प्रत्येक सदस्य से अदभूत व माली गलौज करने लगी।

मेरी माताजी की तबीयत खराब है तथा बहन की भी तबीयत खराब रहती है, वह चल फिर नहीं सकती।

प्रतिवादिनी घर का कोई काम नहीं करती तथा घर का सामान ले जाकर मायके वालो को देने लगी।

मेरे पिता श्री चरणदास ने प्रतिवादिनी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी और मेरे पिता से अभद्रता की।

दिनांक २०.८.२००८ को निधि ने चूहे मारने की दवा खा ली, मै उसे तत्काल अस्पताल ले गया जिससे उसकी जान बच गई। मैने प्रतिवादिनी के पिता व परिवार को घटना के बारे मे सूचित किया तो उन्होने झूठे मुकदमे मे व हत्या के प्रयास के मुकदमे मे फसाने की धमकी दी।

प्रतिवादिनी अपने पिता के साथ मे अपना सारा सामान व मेरा सामान रूपया लेकर चली गयी। दो माह तक वह पिता के घर रही। मैने बहुत समझाया और फिर मै समझाकर घर ले आया।

18-11-2003 को मेरे एक बेटा पैदा हुआ मैने इसका नामकरण बड़ी धूम धाम से किया

होली पर जब प्रतिवादिनी अपने मायके गयी, वहां बच्चा बीमार पड गया, मैंने इलाज करवाया। 27 मार्च से 31 मार्च तक बच्चा विपिन नर्सिंग होम मे भर्ती रहा। बमुश्किल बच्चा सही हुआ।

20-5-2005 को प्रतिवादिनी बच्चे को लेकर बिना पूछे मायके चली गयी तथा साथ मे सारा सामान, साडी, जेवर, नगद रुपये लेकर चली गयी।

मुझे दहेज के झूठे मुकदमे मे फंसा दिया। बार बार बुलाने पर वह वापस नहीं आयी।

DW 1

श्री मती निधि पत्नि राकेश कुमार पुत्र राधावल्लभ उम्र करीब - 23 वर्ष, पेशा - गृहणी, निवासी - सदर बाजार जिला - मथुरा।

मैं धर्म से शपथ पूर्वक बयान करती हूँ जो भी कहूँगी सच कहूँगी

मेरी शादी दिनांक 26-06-2010 को मेरे पिता ने 5 लाख रुपये खर्च करके सम्पन्न की थी।

शादी मे 5 तोले सोने के जेवरात, फर्नीचर, सोफा, बेड, टी॰ वी॰, ए॰ सी॰, मोटर साईकिल आदि दहेज मे दिया तथा पति के लिए अंगूठी, जंजीर, कपडे व सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद, जेठानी आदि के लिए कपडे व 1-1 अंगूठी दी थी व डेढ लाख रु दावत मे खर्च किए।

विदा के समय ही पति, सास ससुर ने, 2 लाख रुपये एवं कम्प्यूटर व एक प्लाट की मांग की तो मेरे पिता व भाईयों ने सास ससुर को बाद मे दहेज देने की आश्वासन से सम्भव हो सकी विदाई के बाद से ही वो मुझसे दहेज

मांगने लगे और क्रूर व्यवहार मैं साथ करने लगे मुझे परेशान करते, ताने मारते।

बाद मे मारपीट करने लगे। मेरे पिता व भाईयो ने कई बार ससुरालीजनो को समझाया किन्तु वो नही माने और क्रूरता के कारण घर से बाहर तक निकाल दिया। यह व्यवहार बढता ही गया

दिनांक 20-5-2005 को रात मैं 11 बजे मुझे दहेज की मांग मे 2 लाख रूपये आदि मांगने लगे। 20-5-2005 को रात 11 बजे मुझे घर से निकाल दिया, काफी मिन्नत मांगने पर भी घर मे नहीं घुसने दिया। वादी आज तक मुझे लिवाने नही आया।

वादी का यह वाद असत्य, मनगढत, व झूठा है अतः वादी द्वारा वाद मुझसे छुटकारा पाने के लिए दायर किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय श्री मान परिवार न्यायालय मथुरा

. राकेश कुमार

बनाम

निधि

धारा - 13 हिन्दु विवाह अधि० 1955

आदेश

प्रस्तुत : श्री रमाशंकर पाण्डे , H.J.S

दिनांक : 26-6-2001

प्रस्तुत वाद राकेश पुत्र श्री चरणदास ने अपनी पत्नि श्री मती निधि पुत्री श्री राधावल्लभ से विवाह विच्छेद किए जाने हेतू प्रस्तुत किया गया है।

वादी का कथन है कि वादी राकेश की शादी 26-6-01 को हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई। शादी का दोनो तरफ का खर्चा वादी के पिता चरणदास ने वहन किया था।

3. प्रतिवादिनी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था शादी के कुछ दिन बाद से निधि के व्यवहार मे परिवर्तन आने लगा।

बिना कहे बार-बार मायके जाती। कहना नही मानती घर के प्रत्येक सदस्य से अभद्रता करती।

4. विपक्षी निधि ने अपने बयान मे कहा है कि मेरी शादी मे मेरे पिता ने 5 लाख रुपये खर्च किये थे।

5 शादी मे 5 तोले सोने के जेवरात, फर्नीचर, साजा, बेड, अंगूठी, जंजीर, कपड़े दिये, दावत मे डेढ़ लाख रुपये खर्च किये। विदा के समय ससुरालीजनो ने 2 लाख रुपये नकद, कम्प्यूटर व प्लाट की मांग की। प्रतिवादी के पिता ने आश्वासन दिया तब जा कर शादी हुई। विदाई के बाद दहेज के लिए मारपीट की गई।

6 दोनो पक्षो को सुना गया तथा दोनो पक्षो ने एक साथ न रहने का निर्णय कर लिया है तथा वादी के लिये हुए दहेज को प्रतिवादिनी को वापस कर दिया है तथा भविष्य के लिए स्वयं व अपने पुत्र के लिए 5 लाख रुपये नगद प्राप्त कर लिए है। प्रतिवादिनी भविष्य मे वादी पर भरण पोषण के लिए कोई भी दावा व कानूनी कार्यवाही नही करेगी

आदेश

वादी व प्रतिवादी का विवाह दिनांक 26-6-2001 विच्छेदित किया जाता है तथा इसके विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति को पारित किया जाता है।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
मथुरा।

वादी - - -

प्रतिवादी - - -

Criminal Case

राज्य

बनाम

देवी सिंह व

अन्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R)

(दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 154 के अन्तर्गत
पुलिस फार्म सं०-341)

मु०अ०सं० .... 225/10

जिला - मथुरा थाना चौकी ओल थाना - फरह
वर्ष - 2010

दिनांक :- 27-7-2010

अधिनियम - भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा - 302

आपराधिक घटना दिन - मंगलवार दि० सं० 26/27.7.10

समय से - रात्रि 1:30 बजे समय तक

थाने प्राप्त सूचना दिनांक 27-7-10 समय 3.15 Am
प्रविष्ट सं०-9 समय 3:15

घटना का स्थान :- टीन वाली ग्राम -गला अकुआ

थाने की दिशा व दूरी - पश्चिम 3 km बीट सं०-4

शिकायतकर्ता / सूचनादाता :-

नाम :- पुष्पेन्द्र सिंह पिता/पति का नाम स्व राजेन्द्र सिंह

Scanned with OKEN Scanner

R/0 नगला अबुआ राष्ट्रियता भारतीय

थाना फरह जिला मथुरा

ज्ञात संदिग्ध / अज्ञात / अभियुक्ता का पूर्ण विवरण :—

सं.	नाम	पिता का नाम	ग्राम	थाना	जनपद
1.	देवीसिंह	प्रताप सिंह	नं. अबुआ	फरह	मथुरा
2.	राम प्रकाश	प्रतापसिंह	नं. अबुआ	फरह	मथुरा

शिकायतकर्ता / सूचनादाता द्वारा सूचना देने मे किये गये विलम्ब का कारण —

विवरण —
अभियुक्तगण द्वारा वादी के पिता राजेन्द्र सिंह को कुल्हाडी से मार कर हत्या कर देना।

कार्य :— उपर्युक्त सूचना के आधार पर गठित अपराध की धाराएं क्रमांक-2 पर अंकित अपराध पंजीकृत किया

पद श्री विनोद कुमार, प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी ओल

निशानी अंगूठा शिकायतकर्ता / सूचनादाता थाना प्रभारी का नाम
कोर्ट भेजने का दिन व समय पता / दि.
विनोद कुमार
चौकी ओल 27/7/10

मु० सं०	225/10
धारा	302 IPC
थाना	चौकी ओल, फरह
घटना का दिनांक	26/27-7-10 रात्रि
समय व दिन	करीब 1:30 बजे रात्रि
FIR दिनांक	27-7-2010
समय	3:15 Am.
घटना का स्थान	तीन बादी नगला अबुआ थाना फरह जनपद मथुरा
रिपोर्ट कर्ता का नाम	

निवासी ग्राम नगला, अबुआ थाना फरह, जनपद मथुरा

बनाम

देवी सिंह
रामप्रकाश] S/o प्रताप सिंह नि० नगला अबुआ

Scanned with OKEN Scanner

नकल तहरीर
हिन्दी वादी :

सेवा मे
श्री मान च्योकी ~~प्र~~ प्रभारी
ओल थाना फरह मथुरा

महोदय,
निवेदन है कि 5-6 दिन पहले घर के सामने खाली पडी मेरी जमीन पर बिजली का खम्भा गढने को लेकर देवीसिंह व रामप्रकाश पुत्रगण श्री प्रताप सिंह के समय विवाद हो गया था। जिसमे मेरे पिता द्वारा उनसे मना करने के बावजूद भी न मानने पर पिता द्वारा देवी सिंह को एक थप्पड जड दिया।

जिस पर देवी सिंह व रामप्रकाश द्वारा गांव मे उपस्थित लोगो के समक्ष धमकी देकर गये कि हम तुम्हे काटकर मार डालेगे। आज दि० 26/27-7-2010 की रात्रि ~~को~~ घर का दरवाजा बन्द करके मै तथा मेरी मां बाहर आंगन मे तथा पिताजी 5 कदम की दूरी पर नीम के नीचे चारपाई पर सो रहे थे। समय रात्रि करीब 1:30 बजे मेरे पिताजी की जोर से कराहने की आवाज आयी

जिस पर मै और मेरी माँ उठकर पिता की चारपाई के पास गये तो देखा की देवी सिंह व रामप्रकाश दरवाजे की कुंडी खोल रहे थे और भाग गये उनके हाथ मे खून से सनी हुई कुल्हाडी थी। जब मैने शोर मचाया और उनका पिछा किया तो आस पास से सभी लोग आ गये लेकिन देवी सिंह व रामप्रकाश दोनो ही चकमा देकर भाग गए।

जब गाँव के लोगो ने जो मेरे साथ भागे, हम सबने चाँद की रोशनी मे देवी सिंह व रामप्रकाश को पहचान लिया।

तभी मैने और गाँव के कुछ लोगो ने आकर पिताजी को देखा तो उनकी गर्दन कटी हुई थी और वे मृत चारपाई पर पडे थे और जमीन पर माँ बेहोश पडी थी।

देवी प्रकाश व रामप्रकाश का घर हमारे घर के बगल मे है। वह दीवार जो करीब 5 फीट की है से कूदकर उन्होने हत्या कारित की।

मेरे पिता की उनसे कोई दुश्मनी नही थी। जो 5-6 दिन पहले धमकी दी थी उसी के कारण उन्होने इस घटना को अंजाम दिया।

अतः श्री मान जी मेरी रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की

कृपा करें।

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह

निवासी नगला अकुआ थाना फरह

जनपद मथुरा

दिनांक - 27-7-2010

नाम- गवाहन :-

पुष्पेन्द्र सिंह S/o राजेन्द्र सिंह

उर्मिला देवी S/o " "

दयाराम S/o किशोरी लाल

रवि S/o दयाराम

रामदीन S/o रतन सिंह

आरोप पत्र

जिला - मथुरा
थाना फरह

प्रथम सूचना सं० 25/11
आरोप पत्र सं० 38/10
अपराध सं० 225/10

(2) अभियुक्त जिनका चालान न किया गया हो, पकड़े गए हो या न पकड़े हो

(3) अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालान किया गया हो

फरार अभियुक्त नाम पता उम्र	गिरफ्तार नाम पता व उम्र	जमानत पर जाने मुचलके नाम, पता, उम्र	निष्कर्ष नाम पता, उम्र
	देवी सिंह s/o	प्रताप सिंह प्रतापसिंह	नि० फरह, मथुरा पगला अभुक्त

अवलोकित

प्रसंज्ञान किए जाने के आधार पारित है।

प्रसंज्ञान किया जाता है कि आरोप पत्र रजिस्टर है

अपराध सं० - 225/10

धारा - 302 IPC पुलिस स्टेशन - फरह - मथुरा

दिनांक - 27-7-10
दिनांक - 3/11/10
दिनांक - 27/7/11

4	5	6	7	8	9
माल हथियार सहित जो ... गये हो इस विवरण के ... कि कहाँ और कब पकड़ा ... मजिस्ट्रेट के पास भेजा ... नहीं	आरोप या सूचना का नाम और उनसे सम्बन्धित परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण और विवाद की वह धारा जो अपराधी के संबंध में लगायी है।	मुकदमा	गवाह	विवरण	सजाएँ
...टरी रखन आलदा ... साधा मिट्टी		श्री मान जी	मुकदमा उपरोक्त वादी श्री प्रवेन्द्र ने दि० 27/7/10 को थाना फरह पर अभि० देवीसिंह व रामप्रकाश के विरुद्ध नामजद पंजीकृत कराया। जिसकी प्रारम्भिक विवेचना थाना फरह पुलिस द्वारा की गई। उस मुकदमे की विवेचना निदेशानुसार है जो कि SI द्वारा की गई गवाह व्हा निरीक्षक घटना स्थल से अभि० के खिलाफ धारा IPC 302 पाया जाता है। अभि० के खिलाफ चालान आरोप पत्र सं० 38/10 किया जा रहा है। श्री मान जी सबूत का परीक्षण कर दण्डित करने की कृपा करें।		

अभियोग के रोजनामचे की मूल प्रति / द्वितीय प्रति :-

थाना- फरह   जिला- मथुरा

प्रथम सूचना पंजीकरण सं० 28/10 सन् 2010 अभियोग रोजनामचा दिनांक तथा घटना स्थल 26/27-7-2010 तथा नगला अकुआ फरह

अपराध-वादी श्री पुष्पेन्द्र सिंह S/o स्व. राजेन्द्र सिंह नि॰ अकुआ फरह

बनाम

दिनांक व समय तथा कार्यवाही की गयी	तफतीश का विवरण
27.7.2010	1. देवी सिंह] 2. राम प्रकाश] S/o प्रताप सिंह] निवासी नगला अकुआ

श्री मान जी,

निवेदन है कि मुकदमा चौकी ओल पर चौकी प्रभारी की मौजूदगी में पंजीकृत किया गया है मुझे इसकी सूचना चौकी प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा प्राप्त हुई। इसके बाद सूचना प्राप्त होने के बाद मैने घटना स्थल पर जाकर विवेचना की।

मनोज कुमार ओल चौकी प्रभारी से

पूछने पर बताया कि साहब आज दि० 26/27-7-10 की रात्रि करीब 3:15 बजे पुष्पेन्द्र सिंह S/O स्व. राजेन्द्र सिंह नि० नगला अकुआ थाना फरह जनपद मथुरा, श्री दयाराम व उनके पुत्र रवि और गांव के कई अन्य लोगो को लेकर चौकी आया।

तहरीर हिन्दी लिखित बावत अभियुक्तगण देवी सिंह व रामप्रकाश पुत्रगण प्रतापसिंह निवासी अकुआ थाना फरह जनपद मथुरा ने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या करने के सम्बन्ध में मुझे दी। मैंने इसके आधार पर इसे जनरल डायरी (G.D) पर दर्ज किया। अपराध सं. 225/10, धारा 302 IPC का अभियोग मेरे हस्तलेख में पंजीकृत किया। चिक पर मेरे हस्तलेख व मेरे हस्ताक्षर है।

श्री मान जी,

मैं थानाचंद और कांस्टेबल अजपाल के साथ घटनास्थल पर गया। यहां मृतक राजेन्द्र सिंह का परिवार शोकाकुल थे, रोने चिल्लाने की आवाज हो रही थी। मैंने मृतक के परिवार को सांत्वना दी उन्हें धैर्य बंधाया। मृतक राजेन्द्र का शव टीन के नीचे मिला। मृतक राजेन्द्र सिंह का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही हेतु पंचो को इकट्ठा किया गया।

पंचो मे पुष्पेन्द्र सिंह S/O स्व राजेन्द्र सिंह, दयाराम S/O किशोरी लाल, रामदीन रवि S/O दयाराम व साहब सिंह ग्राम

नगला अबुआ जनपद मथुरा को एकत्रित कर मृतक राजेन्द्र सिंह का पंचनामा तैयार किया। पंचों ने राय दी कि मृतक राजेन्द्र सिंह की हत्या धारदार हथियार से हुयी। फिर भी सही जानकारी के लिए मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मथुरा जिला अस्पताल भेजा।

श्री मान जी वादी मुकदमा पुष्पेन्द्र सिंह को सांत्वना देते हुये पूछताछ का ब्यान अंकित किया गया।

श्री मान जी मुकदमा श्री पुष्पेन्द्र सिंह S/o श्री राजेन्द्र सिंह नि० नगला अबुआ थाना फरह जनपद मथुरा की निशानी दे दी पर घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है।

निरीक्षण घटना स्थल :-

पुलिस रिपोर्टिंग पुलिस चौकी ओल से पश्चिम दिशा में करीब 3 Km की दूरी पर स्थित गांव नगला अबुआ में स्थित मकान के अंदर 'A' नामक स्थान पर टीन शेड के नीचे वादी के पिता श्री राजेन्द्र सिंह की अभियुक्त देवी सिंह व रामप्रकाश ने हत्या की चारपाई के नीचे खून पड़ा है। और मां उर्मिला देवी सोय हुये थे। लगभग यहां से कदम की दूरी पर पुष्पेन्द्र सिंह 7 कदम की दूरी पर नल और यहां से 12 कदम की

दूरी पर नल और यहां से 12 कदम की दूरी पर मुख्य दरवाजा जो मृतक राजेन्द्र सिंह की चारपाई से 4 कदम की दूरी पर था। जिस दीवार अभियुक्त देवी सिंह और रामप्रकाश मृतक राजेन्द्र सिंह के घर मे घुसे इस दीवार की ऊँचाई लगभग 5 फुट है।

वादी के मकान की पूर्व की दिशा मे खाली जगह है। दक्षिण मे बम्बा का रास्ता है। खाली जगह जो कि पूर्व दिशा मे मृतक राजेन्द्र सिंह की है। दक्षिण दिशा मै तैयार किया गया है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है।

श्री मान जी मृतक राजेन्द्र की चारपाई के नीचे से खून आलूदा मिट्टी लेकर सील कर सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार कर फर्द तैयार की गई और गांव वालों से पूछताछ कर ब्यान लिये गये।

अभियोग के रोजनामचे की मूल प्रति / द्वितीय प्रति

थाना - फरह जिला - मथुरा

प्रथम सूचना पंजीकरण संख्या - 28/10 सन्-2010 अभियोग रोजनामचा

दिनांक तथा घटनास्थल - 26/27-7-2010 नगला अकुबा फरह

अपराध 26/27-7-2010 समय करीब 3:15 Am

दिनांक तथा समय जब कार्यवाही की गई	तफ्तीश का विवरण
10-8-2010	वादी - श्री पुष्पेन्द्र सिंह S/o स्व० श्री राजेन्द्र सिंह निवासी - नगला - अकुबा थाना - फरह जिला मथुरा
आज देवी सिंह व रामप्रकाश को 10.8.10 को गिरफ्तार कर ब्यान लिये गये।	बनाम
	देवी सिंह, रामप्रकाश - S/o श्री प्रतापसिंह नगला अकुबा
	थाना फरह जिला मथुरा

श्री मान जी,

आज हम अभियुक्त के बारे मे पूछताछ करके

62

चौकी ओल की तरफ आ रहे थे कि मुखबिर से हमें सूचना मिली कि आपके थाने के अभियुक्त देवी सिंह व रामप्रकाश परिसर तट के पास खड़े हैं, वो मथुरा वकील साहब से सलाह मशवरा लेने जा रहा है। अगर आप अभी जाएंगे तो उनको पकड़ सकते हैं।

अतः सूचना प्राप्त होने पर हम वहां गये। फाटक के पास दोनों खड़े होकर बात चीत कर रहे थे। दोनों से उनका नाम पूछा तो बताया देवी सिंह व राम प्रकाश। उनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस चौकी ओल लाया गया। उन्हें इनकी गिरफ्तारी का कारण बताया गया तथा उन्हें करीब 7:35 Pm को हिरासत में लिया गया गिरफ्तारी होने के बाद उनके घरवालों को सूचित किया गया।

बयान अभियुक्त - देवी सिंह

अभियुक्त देवी सिंह S/o प्रताप सिंह R/o नगला अगुआ थाना फरह जिला मथुरा को विश्वास व न्याय का भरोसा दिलाते हुए पूछा तो उसने बताया कि साहब हमारे व मृतक के मकान के सामने खाली पड़ी जमीन में अपने और मृतक की जमीन के मध्य में बिजली का खंभा है और मेरा भाई रामप्रकाश हम दोनों खम्भा गाड़ रहे थे। तभी मृतक, उनकी पत्नी व लड़का हमें गाली देने लगे तो मैंने और भाई ने पूछा आप हमें गाली क्यों दे रहे हो। तभी मृतक राजेन्द्र सिंह ने

मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। वे तीन थे हम दो थे।
हम दोनों कमजोर थे इसलिए हमने कहा कि तुम्हें
भी कोई देख लेगा। इसके बाद हम लोगों के विवाद
के करीब 5-6 दिन बाद रात मे राजेन्द्र सिंह की
उनके घर मे ही हत्या हो गयी। हम इसके बारे
मे और कुछ नही जानते है। अगर कुछ बताना
होगा तो वकील साहब से जानकारी करके बताएंगे
बार 2 पूछने पर भी उसने कुछ बताने से मना
कर दिया और घटना के जुर्म से इंकार कर दिया।

बयान अभियुक्त - रामप्रकाश

अभियुक्त रामप्रकाश s/o प्रताप सिंह R/o ग्राम नगला अकुआ
थाना फरह जनपद मथुरा ने अपने भाई देवी सिंह द्वारा
बताई गयी सभी बातों का मूल रूप से तस्दीक
करते हुए समर्थन किया।

देवी सिंह की तरह ही
रामप्रकाश ने बयान दिया तथा घटना मे अपने जुर्म
का इंकार कर दिया।

श्री मान जी,

अभियुक्त देवी सिंह और रामप्रकाश को
आज ही माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड
हेतु पेश किया जाएगा।

अभियोग के रोजनामचे की मूल प्रति / द्वितीय प्रति :-

थाना - फरह जिला - मथुरा

प्रथम सूचना पंजीकृत सं० 28/10 सन् 26/27-7-10 अभियोग

दिनांक तथा घटना स्थल 26/27-7-10

दिनांक तथा समय जब कार्यवाही की गयी — तफ्तीश का विवरण

3-11-10

वादी - श्री पुष्पेन्द्र सिंह s/o राजेन्द्र सिंह R/o नगला अवुआ थाना फरह मथुरा

बनाम

1. देवी सिंह s/o प्रताप सिंह R/o नगला अवुआ थाना फरह, मथुरा

2. रामप्रकाश s/o प्रताप सिंह R/o नगला अवुआ थाना फरह मथुरा

श्री मान जी,

मुकदमा उपरोक्त मे पर्चा 0014 दि० 12-9-10 को प्रेषित किया जा चुका है।

65

* विवेचना में जिन गवाहों के नाम लिखे गए थे वे क्रमशः थे।

1. पुष्पेन्द्र सिंह S/0 राजेन्द्र सिंह R/0 नगला अकुआ, फरह
2. श्री मती उर्मिला देवी W/0 स्व राजेन्द्र सिंह R/0 नगला अकुआ फरह
3. श्री दयाराम S/0 किशोरी लाल R/0 नगला अकुआ फरह
4. रवि S/0 दयाराम R/0 नगला अकुआ फरह
5. रामदीन S/0 राम सिंह R/0 उपरोक्त
6. रघुराज सिंह S/0 छोटे लाल R/0 "
7. शिवचरण सिंह S/0 श्री लाल सिंह
8. महीपाल सिंह S/0 घनश्याम सिंह
9. SI श्री विनोद कुमार, चौकी ओल थाना फरह
10. मि॰ आर रोहणी (चिकित्सक) जिला अस्पताल मथुरा

पंचनामा के गवाह :-

पुष्पेन्द्र सिंह S/o स्व राजेन्द्र सिंह R/o नगला अबुआ

दयाराम S/o किशोरी लाल R/o नगला अबुआ

रवि S/o दयाराम R/o उपरोक्त

रामदीन S/o राम सिंह R/o उपरोक्त

जितेन्द्र S/o खड़ग सिंह R/o उपरोक्त

न्यायालय सत्र न्यायाधीश मथुरा :-
सत्र वाद सं० - 486 / 2011

राज्य
बनाम
देवी सिंह व अन्य

आरोप

मैं बिजय बहादुर यादव सत्र न्यायाधीश मथुरा

अभियुक्त देवी सिंह व रामप्रकाश पर निम्न आरोप आरोपित करता हूं :-

प्रथम

यह कि दिनांक 26/27-7-10 को समय करीब रात्रि 1:30 बजे स्थान तीन बाड़ी, ग्राम नगला मथुरा थाना फरह जिला मथुरा में एक राय होकर सामान्य आशय से अभियोगी पुष्पेन्द्र सिंह के पिता राजेन्द्र सिंह को सोते समय कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कारित की इस प्रकार आपने धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है। जो कि मेरे प्रसज्ञान में है।

इतद्द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोप पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक 18-11-2011

(विजय बहादुर यादव)
सत्र न्यायाधीश
मथुरा

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप स्वीकार करने से इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक 18-11-2011

(विजय बहादुर यादव)
सत्र न्यायाधीश
मथुरा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सत्र न्यायाधीश मथुरा

स

सत्र वाद संख्या :- 486 सन् 2011

राज्य

बनाम

देवी सिंह व अन्य

धारा 302 IPC

आदेश

अभियुक्तगण देवी सिंह व रामप्रकाश न्यायालय मे उपस्थित। आरोप पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री बनवारी लाल दिनकर तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ताओ को सुना। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियोजन प्रकरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए उस साक्ष्य की ओर न्यायालय ध्यान आकर्षित किया जिसका आरोप सिद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 26/27-7-2010 के समय रात 1:30 बजे स्थान टीन वाली ग्राम नगला अकुआ थाना फरह जिला मथुरा मे आपने एक

होकर सामान्य आशय की पूर्ति में अभियोगी पुष्पेन्द्र सिंह के पिता राजेन्द्र सिंह को सोते समय कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कारित की।

आरोप पत्र के साथ संलग्न अभिलेख तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण देवी सिंह व रामप्रकाश को धारा 302/34 IPC के आरोपित किया जाता है। आरोप अभि० को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों पर अभिवाक् नहीं किया तथा विचारण का दावा किया।

अभियोजन आवेदनानुसार आरोप पत्र के साक्षी तलब किये जाएं।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक— नियत की जाती है।

सत्र न्यायाधीश

मथुरा

PW.1 :

न्यायालय सत्र न्यायाधीश मथुरा

सत्र वाद संख्या 486 सन् 2011

राज्य

बनाम

देवी सिंह व अन्य

धारा - 302 IPC

थाना फरह मथुरा

आज दिनांक 30-6-2012 को साक्षी पुष्पेन्द्र पुत्र स्व राजेन्द्र सिंह उम्र करीब 20वर्ष, पेशा विद्यार्थी नि० नगला अकुआ थाना फरह जिला मथुरा ने सशपथ ब्यान किया कि आज से करीब दो साल पहले की बात है। रात के 1:30 बजे का समय था। मेरे पिताजी टीनके नीचे चारपाई पर सो रहे थे। मैं और मेरी माँ 5 कदम की दूरी पर चारपाई पर सो रहे थे। तभी मुल्जिम हाजिर अदालत देवी सिंह व रामप्रकाश हमारे घर की 5 फुट की दीवार कूदकर हमारे घर के अन्दर आये जिनमें रामप्रकाश के हाथ में कुल्हाड़ी थी, इन्होंने आते ही अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी से मेरे पिताजी की गर्दन पर हमला किया जिससे उनके कराहने की आवाज आयी

इसके बाद मै और मौसाजी वहा भाग कर गये, रामप्रकाश ने उनके गर्दन पर प्रहार किया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। घटना के समय रात चन्द्रमा की रोशनी थी जिससे मैंने व अन्य गांव के लोगो ने अभि० को अच्छी तरह से देखा व पहचाना।

इस घटना से 5-6 दिन पहले हमारे घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर बिजली का खम्भा गाड़ने को लेकर मेरे पिताजी और उपरोक्त मुल्जिमानों के मध्य विवाद हो गया था और उन लोगों ने धमकी दी थी कि किसी दिन तुम्हें मार देंगे। क्योंकि विवाद के चलते मेरे पिताजी ने देवी सिंह को थप्पड़ जड़ दिया था। इसलिए उसी धमकी व रंजिश को उन्होंने 5-6 दिन बाद पूरा कर दिया। शोर गुल सुनकर मौके पर हमारे चाचा रवि व बाबा दयाराम भी मौके पर आ गये थे जिन्होंने घटना देखी थी। मैंने इस घटना की रिपोर्ट स्वयं लिखकर चौकी ओल मे दी थी। यह मेरी ही रिपोर्ट है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है। इस पर प्रदर्श क । डाला गया है।

घटना के बाद दरोगा जी गांव आये थे उन्होंने ही लिखा पढ़ी की थी। मेरे पिताजी के शव को एक कपड़े मे रख सील मोहर की थी तथा लिखा पढ़ी पर मेरे हस्ताक्षर कराये

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मथुरा

पुष्पेन्द्र

20-6-11

PW-2

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मथुरा

सत्र वाद सं० - 486 सन् 2011

राज्य

बनाम

देवी सिंह व अन्य

302 IPC
थाना - फरह, मथुरा

आज दिनांक 23-3-2013 को श्री मती उर्मिला देवी w/o राजेन्द्र सिंह उम्र करीब 40 वर्ष, पेशा गृहणी R/o नगला अबुआ थाना फरह, जिला मथुरा ने सशपथ ब्यान किया, -

आज से लगभग 2½ वर्ष पूर्व की बात है रात करीब 1:30 बजे का समय था, मैं और मेरा बेटा पास आंगन मे सो रहे थे। मेरे पति राजेन्द्र सिंह थोडी दूरी हमारे सामने टीन के नीचे सो रहे थे। रात करीब 1:30 बजे मेरे पति की कराहने की आवाज सुनकर मैं और मेरा बेटा जागे तो देखा की हमारे पडोसी देवी सिंह व रामप्रकाश मेरे पति को मार रहे थे। जिनमे रामप्रकाश के हाथ मे कुल्हाडी थी, और देवी सिंह ने हाथ पकडे हुए थे। चन्द्रमा की रोशनी व लालटेन की रोशनी मे मैने व पुत्र ने उन्हें अच्छी तरह पहचाना था।

मैनें भी टॉर्च जलाकर उनको पहचाना था। हमारे शोर मचाने पर देवी सिंह और रामप्रकाश दरवाजे की कुंडी खोलकर भागे।

करीब 5-6 दिन पहले देवी सिंह व रामप्रकाश के साथ हमारे घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर खंभा गाड़ने को लेकर मेरे पति के साथ विवाद हो गया था। मेरे पति ने देवी सिंह को थप्पड़ जड़ दिया था इसी बात से देवी सिंह व रामप्रकाश ने गांव वालों के के सामने मारने की धमकी दी इसी। दुश्मनी के कारण मेरे पति की हत्या की थी।

इस घटना की रिपोर्ट मेरे पुत्र ने ओल चौकी पर करायी थी। अपीलार्थी दोनों अभियुक्तगण दीवार जो 5 फुट ऊंची है; कूदकर मेरे घर में प्रवेश किया। इन लोगों ने मेरे पति को कुल्हाड़ी से मारा है; उनकी हत्या की है।

[signature]
ह उर्मिला

PW 3

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मथुरा

सत्र वाद संख्या - 486 सन् 2011

राज्य

बनाम

देवी सिंह व अन्य

u/s 302 IPC

चौकी कोल थाना फरह मथुरा

आज दिनांक 23-3-13 को श्री रवि कुमार पुत्र दयाराम R/o. नगला अबुआ थाना फरह, जिला मथुरा ने सशपथ बयान किया :-

राजेन्द्र सिंह मेरे चचेरे भाई है मेरा घर उनके घर के बगल में है। दि० 26/27 जुलाई 10 की रात 1:30 बजे राजेन्द्र सिंह की हत्या देवी सिंह व रामप्रकाश ने गला मारकर की थी।

इन दोनों का राजेन्द्र सिंह के साथ हत्या से 5-6 दिन पहले राजेन्द्र सिंह की खाली पड़ी जमीन पर बिजली का खम्भा गाड़ने को लेकर विवाद हुआ था। देवी सिंह व रामप्रकाश ने राजेन्द्र सिंह

के साथ गाली - गलौज भी की थी, जिस पर राजेन्द्र ने देवी सिंह को थप्पड़ मार दिया था। इस पर वे दोनों राजेन्द्र को मारने की धमकी देकर भाग गये।

मैं पड़ोस में ही अपने चबूतरे पर उसी रात सो रहा था। रात में पानी पीने के लिए उठा तो मैंने उर्मिला व पुष्पेन्द्र की चिल्लाने की आवाज सुनी और देखा कि रामप्रकाश और देवी सिंह वहां से भागे चले आ रहे थे।

टार्च की रोशनी में मैंने रामप्रकाश के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी देखी। मैं भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागा किन्तु वे बच्चे की तरफ भागने में सफल रहे।

[signature]
15

P.W. 4

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मथुरा

सत्र वाद संख्या :- 486 सन् 2011

राज्य

बनाम

देवी सिंह व अन्य
धारा - 302 IPC
थाना - फरह (मथुरा)
मथुरा

आज दिनांक 5-6-13 को खरक सिंह S/O छोटे लाल उम्र 50 वर्ष R/o नगला अकुआ थाना फरह जिला मथुरा ने सशपथ ब्यान किया कि:-

मैं गांव नगला अकुआ का रहने वाला हूँ। 26/27-7-13 को मैं करीब रात 1:30 बजे बंबे के रास्ते खेत से अपने घर जा रहा था तो इसी रास्ते से देवी सिंह व रामप्रकाश दोनों भागते हुये आ रहे थे और कह रहे थे की आज तो राजेन्द्र को मजा चखा

चला दिया। आज मैंने उसके अपमान का बदला ले लिया। गांव में जाकर मुझे मालूम पड़ा कि रामप्रसाद और देवी सिंह, राजेन्द्र सिंह की हत्या कर गये हैं। जो कि वह रास्ते में जाते हुए भी जा रहे थे।

हस्ता–
खड़ग सिंह

P.W.-5

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मथुरा
सत्र वाद संख्या - 486 सन 2011

राज्य

बनाम
देवी सिंह व अन्य

U/S 302 IPC
थाना फरह
मथुरा

आज दिनांक 5-6-2013 को डॉ आर रोहतगी, जिला अस्पताल मथुरा ने सशपथ ब्यान किया कि :-

मैं जिला अस्पताल मथुरा में चिकित्सक हूँ दिनांक 27-7-10 को दोपहर 2 बजे कान्स्टेबल अजयपाल सिंह और सुनील कुमार ने मृतक राजेन्द्र सिंह जो ग्रा नगला अबुआ थाना फरह मथुरा का निवासी है की शव का पोस्टमार्टम किये जाने के लिये मुझे सुपुर्द किया था। जब शव का पोस्टमार्टम किया था तो शरीर पर 3 प्रकार की चोटें

थी। दो चोटे गर्दन की दायी तरफ और एक चोट बायी हथेली पर थी।

गर्दन को 9 mm open करने पर मिला कि गर्दन पर किसी तेज धारदार हथियार से प्रहार के कारण नसो का सम्पर्क अलग होने के कारण मृतक की मृत्यु हो गयी थी

पोस्टमार्टम करने के बाद रिपोर्ट बनायी और शव को शील मोहर कर परिवारिजनो को सुपुर्द कर दिया।

पर ऐसी रिपोर्ट मेरे द्वारा ही तैयार की गयी है। इस पर मेरे ही हस्ताक्षर किए गए है जिस पर प्रदर्श क - 5 डाला गया है।

Sing

Dr. R. Rustagi

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मथुरा

उपस्थित श्री विजय बहादुर यादव

सत्रवाद सं. 486/11

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

देवी सिंह व अन्य

अपराध सं. 225/10

धारा - 302/34 IPC

थाना - फरह, मथुरा

निर्णय :-

अभियुक्त देवी सिंह व रामप्रकाश के विरुद्ध मजिस्ट्रेट द्वारा धारा - 302/34 IPC का प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता 209 के अधीन सत्र न्यायाधीश को सुपुर्द किए जाने पर वाद का विचारण प्रारम्भ हुआ। संक्षिप्त में अभियोजन कथानक इस प्रकार है। कि वादी मुकदमा

पुष्पेन्द्र सिंह ने जो ग्राम नगला अबुआ का है, ने चौकी खोला थाना फाईह में दिनांक 27-7-2010 को तहरीर दी थी / 26/27-7-10 की रात करीब 1:30 बजे जब उनके पिता मृतक राजेन्द्र सिंह टीन के नीचे सोये थे और पुष्पेन्द्र और उसकी मां उर्मिला देवी घर के आंगन में सो रहे थे, को अभियुक्त देवी सिंह और रामप्रकाश ने मृतक राजेन्द्र सिंह के घर में प्रवेश किया और उनकी कुल्हाड़ी से हत्या कारित कर दी थी /

1- तहरीर के आधार पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, गवाहों के ब्यान अंकित किये गये / प्रस्तुत प्रकरण में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर एवं अभियुक्तगण के विरुद्ध 302/34 IPC का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया /

2- अभियुक्तगण को संबंधित मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित किया गया / अभियुक्त को संबंधित प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा - 302 IPC का आरोप अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने पर यह वाद सत्र न्यायालय को परीक्षण हेतु सुपुर्द किया गया / सत्र न्यायालय की यह वाद अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ /

3- अभियुक्तगण के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा दि० 18.11.11 को धारा 302/34 का आरोप विरचित किया गया।

4. अभियोजन के द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में PW1 पुष्पेन्द्र, PW-2 उर्मिला देवी, PW-3 रवि, PW4 रूपसिंह, PW-5 डा० संहतनी को परीक्षित किया है।

5 अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने कथन किया कि वह निर्दोष है और उन्हें रंजिशन फसाया जा रहा है

6- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य मे प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 शव विच्छेद आख्या प्रदर्श क-02 नक्शा नजरी प्रदर्श क-03, आरोप पत्र प्रदर्श क-04, पंचायतनामा क-05, चिकित्सा रिपोर्ट क-06 प्रस्तुत किए गये।

7- मैने अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता तथा अभि० के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया

8 अभियुक्तगण के द्वारा अपने बचाव मे कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

9. चूंकि प्रस्तुत मामले में मृतक राजेन्द्र सिंह की हत्या कारित करने के लिए देवी सिंह व रामप्रकाश का घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारना और घरवालों के जागने पर वहां से भाग निकलना, भागते हुये गांव वालों के द्वारा भी उन्हें कुल्हाड़ी लिए हुए भागते हुए देखा गया और हत्या के 5-6 दिन पहले खंभा गाड़ने को लेकर हुये विवाद में मृतक राजेन्द्र सिंह को जान से मारने की धमकी देना और अभियुक्तगणों को 302 IPC के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष के द्वारा युक्तियुक्त

संदेह से परे स्थापित और साबित करने में सफल हुआ। ये सारी बातें अभियुक्तगण को अपराध में दोष सिद्ध किए जाने योग्य सिद्ध करती है।

After PW5 onwlouds :-

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मथुरा

सत्रवाद संख्या - 486 सन् 2011

राज्य बनाम देवी सिंह व अन्य

U/S - 302

थाना - फरह मथुरा

विषय:- दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत

अभियुक्त के 313 के बयान

—x—x—

अतिरिक्त सत्र न्यायालय अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षियों को लेने और गवाहों की गवाही के पश्चात अभि० से दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा - 313 के अधीन अभि० का बयान चाहती है।

Q=1 बताइए अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गये साक्षी द्वारा आप पर मुलक

Ans नहीं श्री मान जी

Q=2 आप पर अभियोजन पक्ष के द्वारा हत्या का आरोप क्यो लगाया जा रहा है ?

Ans-2 पता नहीं श्री मान जी ये हमसे रंजिश मानकर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हमारा इस हत्या से कोई सबंध नही है।

Q=3 आपको इस सम्बन्ध मे और कुछ कहना है,

श्री मान जी हमारा रंजिश के तहत नाम लिया जा रहा है। और हमारे पक्ष के वकील साहब हमारे बचाव मे कुछ दलीले पेश करना चाहते है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त का दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 313 का बयान दर्ज कराया गया। अभियुक्तों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को अस्वीकार कर दिया है और अभियुक्तगण अपना बचाव चाहता है।

अतः अभियुक्त को अपना पक्ष साबित करने के लिए दिनांक 10-7-13 नियत की जाती है

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश

आदेश

सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत मामले मे अभियुक्तगण देवी सिंह और राम प्रकाश को धारा 302/34 IPC के दण्डनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण देवी सिंह व रामप्रकाश को धारा 302/34 I.P.C के अन्तर्गत मृत्युदण्ड न देते हुये आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड अदा न करने पर उस स्थिति मे 6-6 माह के अतिरिक्त

कारावास के दण्ड से दण्डित दण्डनीय किया जाता है।

जेल मे बितायी गई अवधि इस समय से समायोजित की जाएगी

अभि० का सजायवी वारंट बनाकर सजा भुगतवाने हेतु जिला कारागार प्रेषित किया जाएगा।

इस निर्णय की एक प्रति नियमानुसार अभियुक्तगण को अविलंब प्रदान की जावे।

दिनांक : 23-10-2013

श्री विजय बहादुर यादव

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश
मथुरा

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित दिनांकित एवं उद्घोषित किया जाता है।

दिनांक :- 23-10-2013

श्री विजय बहादुर यादव

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
मथुरा

मूट कोर्ट का

आयोजन

B. S. A Collage

Mathura

Date 16-5-2017 (मंगलवार)

मूट कोर्ट छात्रों के ज्ञानी व्यावहारिक प्रक्रियाऐ !-

जैसा की हम जानते है कि मूट कोर्ट एक काल्पनिक कोर्ट है जहा विधि के छात्र मिलकर काल्पनिक कोर्ट चलाते है। B.S.A collage मे प्रत्येक वर्ष विधि संकाय के छात्र छात्राए और अध्यापकों द्वारा मूट कोर्ट का आयोजन होता है। अध्यापकों द्वारा मूट कोर्ट और किसी वाद की पूर्ण प्रक्रिया और उसकी बारीकियो का सृजन ज्ञान छात्र-छात्राओ को दिया जाता है।

इस वर्ष भी विधि के तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओ मे मूट कोर्ट का आयोजन किया। दिनांक 16-5-17 को मूट कोर्ट का आयोजन किया गया था।

विधि के छात्र छात्राओ ने Y. P. Rai sir व B.G. sir के सानिध्य मे मूट कोर्ट के आयोजन के लिए एक criminal case तैयार किया फौजदारी वाद का नाम राज्य बनाम देवी सिंह व अन्य पर आधारित था जिस पर विधि के छात्र, छात्राओ ने मूट कोर्ट चलायी थी।

इस आयोजन से विद्यार्थियो का विकास होता है इनमें तार्किक क्षमता की वृद्धि होती है।

उनकी हिचक दूर होती है जो कि वकालत पेशे मे अति आवश्यक है। इस वाद मे दो पक्षकार - अभियोजन पक्ष और विपक्षी पक्ष थे। अभियोजन पक्ष के दो अधिवक्ता तथा विपक्षी पक्ष के तीन अधिवक्ता थे।

2 अधिवक्ता - राजू, भूपेन्द्र

3 अधिवक्ता - राखी किशोर, सरदार सिंह आदि।

मूट कोर्ट मे निभाई गयी विभिन्न भूमिकाएं इस प्रकार

जज - नेहा चतुर्वेदी

अर्दलीय - बृजमोहन

स्टेनो - आरती शर्मा

पेशकार - मनोज शर्मा

शपथ दिलवाई - राजू ने

गवाहों की भूमिका - PW

पुष्पेन्द्र की भूमिका - सोनू

उर्मिला की भूमिका - आयुषी

रामदीन	नीरज
रवि	अभिषेक
दयाराम	काजल
डॉ रोहतगी	मयूर गर्ग

Defence witness (DW) :-

मीरा सिंह	दिशा	
पूजा सिंह	आकांक्षा	
रामप्रकाश	- रवि	अभियुक्तगण
देवी सिंह	- विनय यादव	अभियुक्तगण
चंचल शर्मा	- विवेचनाधिकारी	
मनीष शर्मा	- हेड मोहर्रिर	
अमित राघव	- सिपाही	

⇒ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ बृजगोपाल शर्मा सर व डॉ एस. के राय सर एवं वी. पी. राय सर के निर्देशन में धारा 302 का यह काल्पनिक कोर्ट चला

⇒ इस आयोजन में B.S.A Collage के प्राचार्य डॉ सुमन कुमार सर, विभागाध्यक्ष, डॉ एस. के. राय सर डॉ के. के गुप्ता, जे. के सिंह, डी. डी. चौहान, प्रकाश अग्रवाल, अनिल श्रीवास्तव, चेतन कुमार, तथा प्रगति उपाध्याय आदि मौजूद थे।

⇒ इस आयोजन में विधि (द्वितीय एवं तृतीय) वर्ष के छात्र छात्राएँ उपस्थित थे। विधि के छात्रों के लिए ये सबसे बड़ा अवसर था। विधि प्रक्रिया को जानने व समझने के लिए व अपना आत्म विश्वास को बढ़ाने के लिए।

[signature]